प्रेषक,

ललित सिंह
अपर सिविल जज (जू०डि०),
कोर्ट संख्या–09, कानपुर नगर।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

विषयः–एल.एल.एम. पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पूर्ण करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी ने सन् 2019–2020 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से विधि परास्नातक (LLM), पाठ्यक्रम में न्यायिक सेवा में आने से पूर्व दाखिला लिया था। उक्त विधि परास्नातक (LLM), की शिक्षा दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत है जिसमें शिक्षा ग्रहण हेतु विद्यालय जाना आवश्यक नही है। यह भी निवेदन करना है कि उक्त पाठ्यक्रम की परीक्षा माह सितम्बर 2020 में आनलाइन माध्यम से प्रस्तावित है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उक्त पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति माननीय उच्च न्यायालय से प्रदान कराने की कृपा करे।

सादर,

भवदीय
Lalit Singh 28/08/2020

दिनांकः–28.08.2020

(ललित सिंह)
अपर सिविल जज (जू०डि०),
कोर्ट संख्या–09, कानपुर नगर।

संलग्नकः–
1. यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र की छायाप्रति।
2. यूनिवर्सिटी को देय फीस की रसीद।
3. माह सितम्बर 2020 में प्रस्तावित परीक्षा के नोटिफिकेशन दिनांकित 26.08.2020 की छायाप्रति।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर।

पत्र संख्या 1387/I दिनांक 29 अगस्त 2020, कानपुर नगर।
महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अग्रसारित।

ह० जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर।

28 AUG 2020
जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर